Fourteenth Loksabha

Session : 9
Date : 07-12-2006

Participants : Prasad Shri Hari Kewal

an>

Title: Need to make the provision for use of Hindi and regional languages in the Supreme Court and High Courts as per the provision of Article 348 of the Constitution.

श्री हरिकेवल प्रसाद (सलेमपुर): उपाध्यक्ष महोदय, देश में भारतीय संविधान लागू किए हुए 56 साल हो गये हैं, परन्तु भारतीय संविधान निर्माताओं ने जो सपने संजोये थे, वे अभी तक पूरे नहीं हुए हैं। भारतीय संविधान निर्माताओं ने संविधान में यह व्यवस्था की थी कि 14 साल के अन्दर हमें धीरे-धीरे अंग्रेजी भाषा के स्थान पर हिन्दी भाषा को काम-काज की भाषा बनाना होगा, परन्तु आज अंग्रेजी कम होने के बजाय और ज्यादा हो गई है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 की धारा (एक) में कहा गया है कि जब तक संसद विधि द्वारा अंग्रेजी के स्थान पर अन्य प्रादेशिक भाषा का उपबन्ध न करे, तब तक अंग्रेजी उच्च न्यायालय में लागू रहेगी और सरकार ने अब तक इस अनुच्छेद का पालन नहीं किया है।

बड़े अफसोस की बात है कि कई राज्य ऐसे हैं, जहां पर उच्च न्यायालय में प्रादेशिक भाषा को काम-काज की भाषा नहीं बनाया गया है। अंग्रेजी में न्यायालय में जो काम किया जाता है, उसे साधारण जनता समझ नहीं पाती है। जहां पर जिस भाषा के 50 प्रतिशत से ज्यादा लोग हैं, उस राज्य के उच्च न्यायालय में उसी प्रादेशिक भाषा को काम-काज की भाषा बनाया जाये।

मेरा सरकार से अनुरोध है कि भारत के संविधान का सम्मान करते हुए भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 की धारा एक के अनुसार उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय में हिन्दी एवं प्रादेशिक भाषा को काम-काज की भाषा बनाने का प्रावधान तत्काल बनाये।